



इटवा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक- 06.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 शातिर लुटेरों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रुपये का अर्थदंड दिया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 शातिर लुटेरों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा व 5,000/- रुपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.08.2016 को वादी विवेक यादव द्वारा थाना भरथना पर तहरीर दी गयी कि पल्सर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की बहन के गले से सोने की जंजीर छीन ली गयी। तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर मु0अ0सं0 364/2016 धारा 392 भादवि बढोत्तरी धारा 411 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 नरेन्द्र सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण राजा उर्फ हासिम पुत्र शकील अहमद निवासी पचराहा थाना कोतवाली जनपद इटावा के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 तरूण कुमार एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राजा उर्फ हासिम पुत्र शकील को अन्तर्गत धारा 392,411 भादवि में आज दिनांक 06.11.2023 को विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 3 जनपद इटावा द्वारा 05 के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रुपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. राजा उर्फ हासिम पुत्र शकील अहमद निवासी उजैदी पचराहा थाना कोतवाली
जनपद इटावा